(115)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**
**समक्ष : मनोज गोयल,**
**अध्यक्ष**

अपील प्रकरण कमांक 3962–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–11–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 395/अपील/2015–16.

.....

दिनेश जैन पिता श्री मांगीलालजी जैन,
निवासी बोथरा हाउस महिदपुर रोड
तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा खनिज अधिकारी उज्जैन जिला उज्जैन ..... प्रत्यर्थी

.....

श्री एम0एल0पाठक , अभिभाषक– अपीलार्थी

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 25/5/17 को पारित )

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि खनिज अधिकारी, उज्जैन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर जिला उज्जैन के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा मुरम एवं पत्थर की गिट्टी का अवैध उत्खनन किया गया है । मुरम का बाजार मूल्य रुपये 1,15,62,400/– एवं पत्थर की गिट्टी का बाजार मूल्य रुपये 6,41,69,000/– है । अतः उपरोक्त राशि के चार गुना अर्थदण्ड कमशः मुरम के अवैध उत्खनन पर रुपये 4,62,49,600/– एवं पत्थर की गिट्टी के अवैध उत्खनन पर रुपये 25,66,76,000/– अधिरोपित किये जाना प्रस्तावित है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक

30/अ–67/13–14 दर्ज कर दिनांक 19–2–2016 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत अवैध मुरम उत्खनन के लिये रुपये 4,62,49,600/– एवं पत्थर की गिट्टी के अवैध उत्खनन के लिये रुपये 25,66,76,000/– इस प्रकार कुल रुपये 30,29,25,600/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर तहसीलदार को उक्त राशि अपीलार्थी से शीघ्र वसूल कर चालान से जमा कराकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–11–2016 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपीलार्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत कर यह आधार बतलाया गया था कि शासन व खनिज अधिकारी यह प्रमाणित नहीं कर पाये है कि अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत पंचनामा प्रमाणित नहीं है और सीमांकन करना एवं नप्ती करना बताया जा रहा है, परन्तु वह भी प्रमाणित नहीं हुआ है और अपीलार्थी को केवल राजनैतिक विद्वेषता से दोषी सिद्ध किया जा रहा है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थिति पर कोई विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा राजनीतिक दबाब में आकर उसके विरूद्ध आदेश पारित किये गये हैं, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अपीलार्थी पर 10 वर्ष से अधिक समय से अवैध उत्खनन किये जाने का आरोप लगाया गया है, जबकि 10 वर्ष में नायब तहसीलदार, पटवारी, चौकीदार, सरपंच व खनिज विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो साक्षी उपस्थित हुये हैं उनके द्वारा भी

कथन में स्वीकार किया गया है कि उन्होनें अपीलार्थी को कभी भी अवैध उत्खनन करते नहीं देखा है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष साक्षी सुनील वर्मा पटवारी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि फील्डबुक नहीं मिली, सीमाएं नहीं मिली । इसी प्रकार धर्मेन्द्र चौहान द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और समय समय पर अपीलार्थी को उत्खनन के पटटे दिये गये है । ऐसी स्थिति में यदि पूर्व में अवैध उत्खनन हुआ हो तो उसे वर्तमान में गिनती कर शामिल करना उचित नहीं है ।

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अन्तर्गत अभियोजन पक्ष के आधिपत्य में दस्तावेज थे और उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया तब अभियोजन पक्ष के विपरीत निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये ।

(6) अपीलार्थी को वर्ष 2000 में पट्टा दिया गया है जो कि समय समय पर नवीनीकृत किया गया है ।

(7) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये भी इसी शासकीय भूमि से उत्खनन बिना रायल्टी के किया गया था, इस तथ्य को साक्षियों ने स्वीकार किया है, परन्तु इस तथ्य पर विचार नहीं कर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

(8) जहॉ तक रेलवे के आक्षेप का प्रश्न है, रेलवे का कोई अधिकारी कथन के लिये उपस्थित नहीं हुआ हैं ।

(9) शासन पक्ष की ओर से जिन साक्षियों के कथन किये गये हैं, उनमें विरोधाभास है । खनिज अधिकारी द्वारा राजेश जैन से कथन लेना बताया गया है जबकि न्यायालयीन कथन में मनोज जैन नामाक व्यक्ति अपीलार्थी का प्रतिनिधि होना बताया गया है और मनोज जैन ने अवैध उत्खनन के तथ्यों से इंकार किया है ।

(10) ग्राम पटवारी एवं सरपंच द्वारा अपने कथन में स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी को अवैध उत्खनन करते हुये नहीं देखा गया है ।

(11) अपीलार्थी की साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अखण्डित थी जिसके विपरीत आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । तर्क के समर्थन में 1984 आरएन 100, 1989 आरएन 579, 1979 आरएन 90, 2004(2) एमपीडब्ल्यूएन 99, एवं 2004(1) एमपीएचटी 16 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से खनिज अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से अपील निरस्त की जाये ।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि राजस्व एवं खनिज अमले के द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण में अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाते हुये प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन के साथ मौके पर तैयार पंचनामा, कथन, फील्डबुक, खसरे प्रस्तुत किये गये हैं । उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देते हुये उभयपक्ष की साक्ष्य से अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाया गया है । इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि पंचनामा, फील्डबुक आदि प्रमाणित नहीं है, क्योंकि पंचनामा पर मौके पर उपस्थित पटवारी, राजस्व निरीक्षक, खनिज अधिकारी, सुपरवाईजर, एस0डी0एम0महिदपुर जिला उज्जैन व एक अन्य पटवारी एवं ग्राम पंचों के हस्ताक्षर है तथा कथन पर भी खनिज अधिकारी के हस्ताक्षर है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षियों के कथन अंकित कर प्रतिपरीक्षण का अवसर देते हुये कथन की विस्तार से विवेचना

कर अति विस्तृत आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमिता परिलक्षित नहीं होती है । अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि उनके द्वारा मुरम एवं पत्थर की गिट्टी का अवैध उत्खनन नहीं किया गया है । अतः इस संबंध में भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि शासन द्वारा अवैध उत्खनन प्रमाणित नहीं किया गया है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2016 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर